be strengthened. Otherwise, that bridge will also collapse.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: Sir, it is true that the estimate for this bridge was brought in 1984 itself. When another collapse took place at the Mandavi bridge on the National Highway 17, we thought it was better to have a new look at it. Therefore, there were plans for change of old alignments. That is how the delay took place. As I have answered, the specifications themselves had to be changed. As I have said, the earth work, cross drainage work and the approaches are in progress. I do not find any contradiction between what the hon. Member has said and my answer. We hope that we will stick to the schedule and complete the work in the targetted period.

सरदार सरोवर परियोजना की संचार व्यवस्था के लिए फ्रीक्वेंसी के आवंटन के लिए अनापत्ति पत्र का दिया जाना

*388. **श्री छोटूभाई पटेल :**
श्री राजूभाई ए० परमार:†

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने सरदार सरोवर परियोजना की संचार व्यवस्था के लिए फ्रीक्वेंसी के आवंटन के लिए अगस्त, 1988 केन्द्रीय सरकार से अनापत्ति पत्र जारी करने का अनुरोध किया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या अनापत्ति पत्र जारी कर दिया गया है तथा फ्रीक्वेंसी का आवंटन हो गया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) अगस्त, 1988 में सरदार सरोवर परियोजना की संचार प्रणाली के लिए फ्रीक्वेंसी आवंटित करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था।

तथापि, उसी परियोजना के लिए गुजरात सरकार को जून, 1980 में आबंटित फ्रीक्वेंसी के लाइसेंस नवीकरण करने के लिए अप्रैल, 1989 में गुजरात सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ था। अगस्त, 1989 में इसे मंजूरी दे दी गई थी, तथा इसके बाद लाइसेंस का नवीकरण किया गया।

SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Sir, I am not satisfied with the reply given by the hon. Minister. The Government of Gujarat has already requested for the issue of a no-objection letter for the allocation of frequency. Is the Minister not aware of the request made by the State Government?

श्री जनेश्वर मिश्र : नहीं, मैंने बताया कि 1980 में फ्रीक्वेंसी आवंटित की गई। उसके बाद 1988 में इस तरह का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

विदेशियों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाया जाना

*389. **डा० रत्नाकर पाण्डेय :**
श्री बेकल उत्साही :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में किन-किन स्थानों पर विदेशियों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

उन स्थानों का विवरण जहां विदेशियों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध है

विदेशी (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958 तथा विदेशी (प्रतिबंधित क्षेत्र) आदेश, 1963 के तहत घोषित संरक्षित अथवा प्रतिबंधित क्षेत्र, जहाँ पूर्व अनुमति के बगैर विदेशियों को जाने की इजाजत नहीं दी जाती है, निम्न प्रकार है :

संरक्षित क्षेत्र

अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम के कुछ भाग, उत्तर प्रदेश व हिमाचल प्रदेश के उत्तरी सीमावर्ती जिले अन्तर्राष्ट्रीय सीमा या नियंत्रण रेखा के नजदीक के जम्मू कश्मीर के

†सभा में यह प्रश्न श्री राजूभाई ए० परमार द्वारा पूछा गया।